



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर

दिनांक – 23.07.2024

कस्बा किरतपुर में घटित घटना के संबंध में पंजीकृत मु0अ0सं0 क्रमश 315/24 व 316/24 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 22.07.2024 को सुरेन्द्रपाल पुत्र स्व0 मुरारी सिंह निवासी मौ0 अम्बेडकरनगर कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर जोकि नगीना रोड पर गैस स्टोर के सामने आने-जाने के लिये अपनी निजी भूमि पर सडक का निर्माण करा रहा था । इसी दौरान 1.नितिन पुत्र जगबहादुर 2.विशाल पुत्र स्व0 मुनेश 3.विशाल पुत्र राजाराम 4.मनोज पुत्र जयपाल 5.विक्की पुत्र राधे 6.पंकज व 7.बंटी पुत्रगण श्यामी 8.मोहित पुत्र राजाराम निवासीगण मौ0 सिंघाडियान कस्बा व थाना



किरतपुर जनपद बिजनौर ने अपने अन्य अज्ञात साथियों के साथ मिलकर गाली - गलौच करते हुए सुरेन्द्रपाल उपरोक्त के साथ लाठी - डंडो से मारपीट की । सूचना पर पहुंची पुलिस के ऊपर भी उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा पथराव किया गया । उक्त घटना में सुरेन्द्रपाल, निरंजन एवं रणधीर तथा थाना किरतपुर पर नियुक्त आरक्षी गौरव को चोट लगी है ।

पुलिस पर हमला एवं कार्य में बाधा उत्पन्न करने के सम्बंध में उ0नि0 श्री योगेश मावी की तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 315/24 धारा 121 / 132 / 109 / 352 / 351(2) बीएनएस व धारा 7 सी0एल0 एक्ट बनाम 08 – 10 व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किया गया एवं शिकायतकर्ता सुरेन्द्रपाल के साथ मारपीट व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किये जाने के सम्बंध में प्राप्त तहरीर के आधार मु0अ0सं0 316/24 धारा 191(2) / 191(3) / 190 / 115(2) / 351(2) / 352 / 109 / 3(5) बीएनएस, धारा 7 सी0एल0 एक्ट व धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट बनाम नितिन आदि कुल 08 नामजद एवं अज्ञात पंजीकृत किया गया है ।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त दोनो अभियोगो में धारा 125 बीएनएस की वृद्धि की गई ।

कार्यवाही –

थाना किरतपुर पुलिस ने उपरोक्त दोनो अभियोगो में वांछित अभियुक्त तरूण उर्फ नितिन पुत्र जगबहादुर निवासी मौ0 सिंघाडियान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया । उपरोक्त

अभियोग में वांछित अन्य अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

तरुण उर्फ नितिन पुत्र जंगबहादुर निवासी मौ० सिंघाडियान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त तरुण उर्फ नितिन उपरोक्त

1. मु०अ०सं० 315/24 धारा 121/132/109/35 /351(2)/125 बीएनएस व धारा 7 सी०एल० एक्ट थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
2. मु०अ०सं० 316/24 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/351(2)/352/109/3(5)/125 बीएनएस, धारा 7 सी०एल० एक्ट व धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ०नि० श्री शिवकुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
2. हे०का० 442 कपिल कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नगीना देहात

दिनांक 23.07.2024

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 127/24 धारा 323/324/504/308/34
भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 14.06.2024 को वादी ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. इरफान पुत्र निशार 2. भूरा उर्फ सादमान पुत्र इरफान व 3. सादमानी पुत्री इरफान निवासी ग्राम बड़ी बनी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ने वादी की पुत्री के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट की जिससे उसके सिर में चोट लग गयी तथा वह बेहोश हो गयी । तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 127/2024 धारा 323/324/504/308 भादवि बनाम इरफान आदि 03 नफर पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 34 भादवि की वृद्धि की गयी ।



कार्यवाही:-

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त इरफान पुत्र निशार अहमद निवासी ग्राम बड़ी बनी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

इरफान पुत्र निशार अहमद निवासी ग्राम बड़ी बनी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 श्रीपाल सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
- 2.हे0का0 96 अर्जुन सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट – थाना नगीना

दिनांक – 23.07.2024

थाना नगीना पुलिस ने मु0अ0सं0 126/24 धारा 307/504/506/34 भादवि में वांछित अभियुक्ता को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 03.05.2024 को वादी ने थाना नगीना पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.तय्यब व 2.अजमल पुत्रगण अब्दुल रशीद व 3.साजिया पत्नी तय्यब निवासीगण ग्राम तुखमापुर हरबंश थाना नगीना जनपद बिजनौर द्वारा वादी व वादी की बहन के साथ गाली गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से लोहे की रॉड आदि से वार किया गया । तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 126/24 धारा 307/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 34 भादवि की वृद्धि की गई ।



कार्यवाही –

थाना नगीना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 126/34 धारा 307/504/506/34 भादवि में वांछित अभियुक्ता सादिया पत्नी तय्यब निवासी ग्राम तुखमापुर हरबंश थाना नगीना जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता –

सादिया पत्नी तय्यब निवासी ग्राम तुखमापुर हरबंश थाना नगीना जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री सुरेन्द्रपाल सिंह थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
- 2.म0का0 2402 कामिनी थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
- 3.का0 2517 अक्षय कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
- 4.का0 2519 अंकित कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर ।



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 23.07.2024

जनपदीय पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	नूरपुर	सुधीर पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम गोहावर हल्लू थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
2	नूरपुर	अवनीश पुत्र पीताम्बर निवासी ग्राम जमालपुर कीरत थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
3	नूरपुर	कन्हैया सैनी पुत्र जागन सैनी निवासी ग्राम कन्हैया थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
4	हीमपुर दीपा	चरन सिंह पुत्र अमर सिंह नि० मुंडाल थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर



थाना नूरपुर



थाना नूरपुर



थाना नूरपुर



थाना हीमपुर दीपा



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ

दिनांक – 23.07.2024

थाना अफजलगढ पुलिस ने मु0अ0सं0 251/24 धारा 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व धारा 61(2) बी0एन0एस0 से संबंधित दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 22.07.2024 को वादी ने थाना अफजलगढ पर तहरीर दी कि थाना क्षेत्रान्तर्गत भूतपुरी तिराहे पर ओवरलोड गाडियों को पास कराने के एवज में जयप्रकाश (चपरासी), राजीव शर्मा (अमीन) व प्रीतम (होमगार्ड) के द्वारा वाहन चालकों से अनुचित धन की मांग की गई । तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 251/24 धारा 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व धारा 61(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तगण 1. जयप्रकाश पुत्र कृपाल सिंह निवासी ग्राम जमापुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर व 2. प्रीतम पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम आलमपुर गांवड़ी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को अनुचित रूप से प्राप्त किये गए 1000/- रुपये की नकदी सहित गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. जयप्रकाश पुत्र कृपाल सिंह निवासी ग्राम जमापुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
2. प्रीतम पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम आलमपुर गांवड़ी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।

बरामदगी विवरण-

1000/- रुपये नकद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. थाना प्रभारी श्री पुष्कर मेहरा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
2. वरि0उ0नि0 श्री श्रीपाल सिंह थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
3. यू0टी0 उ0नि0 श्री शिवा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
4. का0 2134 नितिन कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मंडावर

दिनांक – 23.07.2024

थाना मंडावर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 213/24 धारा 74/78/115(2)/351(2) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो अधिनियम के संबंध में ।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 23.07.2024 को वादिनी ने थाना मंडावर पर तहरीर दी कि अभियुक्त अदनान पुत्र फियाजुद्दीन उर्फ कल्लू निवासी मौ0 शाहविलायत थाना मंडावर जनपद बिजनौर ने वादिनी की पुत्री के साथ मारपीट व छेडखानी की गयी है । इस संबंध में थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 213/24 धारा 74/78/115(2)/351(2) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो अधिनियम बनाम अदनान उपरोक्त पंजीकृत किया गया है । अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गयी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।